

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO.- 2026/226

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महिलावास व भू.अ. मोकलसर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अधुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (धुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लुदराडा	163	विजयराज पुत्र गुणेशाजी	विजयराज उर्फ वीजाराम पुत्र गुणेशारामजी
2	नया लुदराडा	202 , 203	वीजा पुत्र गणेशा	
		180	वीजाराम पुत्र गणेशाराम	

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/ 218

दिनांक:- 13.03.2026

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी विजयराज पुत्र गुणेशारामजी जाति पुरोहित निवासी लुदराडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)